राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	71/2012 सरोज मिर्धा	1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर। 2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), नागौर। 3. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, जायल, जिला नागौर।	03.02.2012	डॉ. विक्रम सिंह नैन, अभिभाषक एवं श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता
2.	72/2012 रमेश कुमार टेलर			

आदेश की दिनांक : 21.11.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 71/2012 सरोज मिर्धा बनाम निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रांरभिक नियुक्ति दिनांक 26.02.1992 से दिए जावें तथा समस्त पारिणामिक लाभ सहित शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अनुकम्पात्मक नियुक्ति के आधार पर नियुक्ति दी गई है। उसे अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 24.02.1992 के द्वारा वेतन श्रृंखला 1200–2050 पर नियुक्त किया गया और राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खुनखुना पंचायत समिति, जायल, जिला नागौर पदस्थापित किया गया, तब से अपीलार्थी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा है। अपीलार्थी पंचायत समिति एवं जिला परिषद अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1978 के तहत अध्यापक के पद पर नियुक्ति के योग्य थी। उनका कथन है कि नियुक्ति पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग को बीएसटीसी योग्यता हेतु अपीलार्थी

को कार्यमुक्त किया जाना चाहिए था, परंतु वर्ष 2001 तक अपीलार्थी को उक्त प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त नहीं किया गया। अपीलार्थी 10 वर्ष तक निरंतर सेवाएं देती रही परंतु उसे चयनित वेतनमान का लाभ कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अंतर्गत नहीं दिया गया। जबकि 18 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर भी अपीलार्थी द्वितीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने की हकदार है। अपीलार्थी को उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं किए जाने के कारण समय पर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकी, जिसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जो नियुक्ति अनुकम्पात्मक आधार पर दी जाती है, वह एक नियमित नियुक्ति होती है और उस नियुक्ति के तहत समस्त लाभ प्राप्त करने का कार्मिक हकदार होता है और जो कार्मिक बिना बीएसटीसी अथवा बी.एड. योग्यता के नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें उक्त प्रशिक्षण पूर्ण करने का अवसर दिया जाता है और तदुपरान्त समस्त लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक से दिए जाते हैं। परंतु वर्तमान मामले में अपीलार्थी को विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु समय पर कार्यमुक्त नहीं किया गया और अपीलार्थी को सेवा लाभ आदि से वंचित रखा गया जो राजस्थान सेवा नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रांरभिक नियुक्ति दिनांक 26.02.1992 से दिए जावें तथा समस्त पारिणामिक लाभ सहित शेष राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जबाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को तीन वर्ष की अवधि में शिक्षण–प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य था। अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में अपीलार्थी ने दिनांक 26.02.1992 को कार्यग्रहण किया और अगस्त, 2001 में प्रथम सत्र उत्तीर्ण किया और दूसरा सत्र वर्ष 2007 में उत्तीर्ण किया, जिसके कारण उसे प्रथम नियुक्ति दिनांक से पांचवें व छठें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया और अपीलार्थी उक्त प्रशिक्षण के बाद से ही नियमितिकरण की हकदार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण को अनुकम्पात्मक नियुक्ति के आधार पर नियुक्ति दी गई हैं। उन्हें अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 24.02.1992 एवं 31.10.1992 के द्वारा वेतन श्रृंखला 1200–2050 पर नियुक्त किया गया और उन्हें पंचायत समिति, जायल, जिला नागौर पदस्थापित किया गया, तब से अपीलार्थीगण निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहां तक अपीलार्थीगण द्वारा समयानुरूप शिक्षण–प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्ण नहीं किए जाने के आधार पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान आदि का लाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि शिक्षण–प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्ण नहीं किए जाने के कारण उन्हें प्रथम नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान आदि का लाभ नहीं दिया जा सकता। चूंकि अपीलार्थीगण की प्रारंभिक नियुक्ति मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को अनुकत्पात्मक नियुक्ति किए जाने संबंधी नियमों के तहत अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर पंचायत समिति जायल, जिला नागौर द्वारा कार्यग्रहण तिथी से तीन वर्ष की अवधि में एसटीसी या बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने की शर्त पर की गई थी। हस्तगत अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा अंकित किए गए इस तथ्य का प्रत्यर्थी विभाग ने अपने लिखित जवाब अथवा बहस के दौरान कोई प्रतिवाद नहीं किया है कि अपीलार्थीगण की भांति बिना बीएसटीसी अथवा बी.एड. की योग्यता धारित किए नियुक्त किए गए अनेक अप्रशिक्षित अध्यापकों को विभाग द्वारा ब्रिज कोर्स के जरिये अपेक्षित प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें प्रथम नियुक्ति की तिथी से चयनित वेतनमान स्वीकृत किए गए थे। परंतु अपीलार्थीगण को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिलाया गया। हमें अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज भी नहीं मिला, जिससे यह प्रकट हो कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण को अपेक्षित प्रशिक्षण दिलाने के संबंध में कोई प्रयास किए गए हों।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका खारिज होने उपरांत राज्य सरकार के द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 26.06.2001 में यह स्पष्ट किया गया था कि अप्रशिक्षित/प्रशिक्षित अध्यापकों को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति की तिथी से दिया जावे। इसी भांति राज्य सरकार के अन्य आदेश दिनांक 19.07.2001 के द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया कि अप्रशिक्षित अध्यापकों को देय चयनित वेतनमान के लिए नियुक्ति की तिथी से ही सेवा की गणना की जावे। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने भी उनके आदेश दिनांक 31.07.2001 के द्वारा इन निर्देशों को दोहराया और इसी आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.04.2002 के द्वारा अपीलार्थीगण को

उनके सेवा अवधि की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति से करते हुए ही प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किए गए हैं। हमारे विनम्र मत में राज्य सरकार के उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अध्यापकों को चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के लिए प्रशिक्षित/डिग्री धारित करने की तिथी को मद्देनजर नहीं रखा जाना है, अपितु अप्रशिक्षित सेवावधि भी इस प्रयोजनार्थ सेवा की गणना में शुमार होगी। अतः अपीलें अपीलार्थीगण स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलें अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती हैं और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थीगण की 9 एवं 18 वर्ष की सेवा अवधि की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति तिथी से करते हुए उन्हें समस्त पारिणामिक लाभ सहित प्रथम व द्वितीय चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृत किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में की जावे।

मूल आदेश अपील संख्या 71/2012 सरोज मिर्धा बनाम निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 72/2012 रमेश कुमार टेलर में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य